

डजिटल ऋण परदिश्य में धोखाधड़ी वाले ऋण एप का खतरा

प्रलिमिंस के लिये:

[डजिटल ऋण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों \(NBFC\), भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#)

मेन्स के लिये:

धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं के उद्भव को लेकर चिंताएँ, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स का प्रसार उधारकर्त्ताओं के लिये गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं, जिसमें अत्यधिक ब्याज दरों के साथ ही मानसिक उत्पीड़न की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं।

- डजिटल ऋण प्रदान करने में तेज़ी से वृद्धि के बावजूद नयामक शून्यता के कारण ऐसी घोटालेबाज़ एप्स के प्रसार में मदद मिलती है, जो बर्ना सोचे-समझे उपयोगकर्त्ताओं का शोषण करते हैं।

नोट:

- डजिटल ऋण पारंपरिक भौतिक दस्तावेज़ीकरण या व्यक्तिगत बातचीत की आवश्यकता के बर्ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डजिटल चैनलों के माध्यम से व्यक्तियों या व्यवसायों को ऋण या क्रेडिट प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

धोखाधड़ी वाले ऋण एप क्या हैं?

- परिचय:**
 - नकली ऋण एप्स अनधिकृत और अवैध डजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म हैं जो कम आय और कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाले लोगों को लक्षित कर 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं।
 - वे बर्ना किसी क्रेडिट जाँच, दस्तावेज़ या संपार्श्विक के तत्काल और बर्ना किसी परेशानी के ऋण प्रदान करने का दावा करते हैं।
- परिचालन प्रक्रिया:**
 - धोखाधड़ी करने वाले ऋण एप अक्सर स्वयं को ऋण कैलकुलेटर या एग्रीगेटर जैसे वैध वित्तीय उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो वित्तीय सहायता चाहने वाले उपयोगकर्त्ताओं के विश्वास का फायदा उठाते हैं।
 - ये एप्स विशाल उपयोगकर्त्ता आधार का लाभ उठाते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से वजिज़ापन जारी करते हैं।
 - हालाँकि चेतावनी के संकेत होने के बावजूद सावधानीपूर्वक जाँच न किये जाने के कारण वे अपने भ्रामक वजिज़ापन जारी रखने सफल होते हैं।
 - चेतावनी के संकेत होने के बावजूद सावधानीपूर्वक जाँच का अभाव उन्हें अपने भ्रामक वजिज़ापन जारी रखने की अनुमति देता है।
 - झूठे दावों और वादों से आकर्षित होकर उपयोगकर्त्ता इन भ्रामक एप्स का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों के साथ ही उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है।
 - यदि उधारकर्त्ता समय पर ऋण चुकाने में वफिल रहता है, तो एप द्वारा उधारकर्त्ता और उसके संपर्कों के ज़रिये अपमानजनक तथा धमकी भरे संदेश, कॉल एवं ईमेल भेजना शुरू कर दिया जाता है।
 - यह एप उधारकर्त्ता की तस्वीरों और वीडियो तक भी पहुँच सकता है तथा उन्हें ब्लैकमेल करने के लिये विकृत व अश्लील छवियाँ बना सकता

है।

- कुछ एप्स रकिवरी एजेंटों को कार्य पर रखकर **शारीरिक हिसा और उत्पीड़न** का सहारा भी लेते हैं।
- कुछ मामलों में अत्यधिक दबाव और अपमान के कारण कर्ज़दार आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाते हैं।

The Indian EXPRESS

How illegal loan apps trap people

- They inundate social media platforms with advertisements, falsely advertising their relationship with prominent NBFCs, and trap users with promises of offering quick loans, even to those with low credit scores.
- Once a user downloads the app, it gets permission to access their contacts, SMS history, photo gallery.

SCAM ALERT

- The advertised interest rates are quite low, but when their recovery agents reach out to a customer, they ask for disproportionately more money.
- If a user denies, they send abusive messages to the user's contact list, including morphed pictures
- Fearing shame, people typically pay back more money than they owed and don't often come out in public with their experience to protect their integrity

Image: Freepik

डजिटल ऋण का विकास और धोखाधड़ी करने वालों का उदय:

- पछिले 11 वर्षों में डजिटल ऋण बाज़ार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023 तक अनुमानित 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, यह लगभग 40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, इसमें से अधिकांश **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** और बैंकों से समर्थति वास्तविक फनिटेक कंपनियों द्वारा संचालित है।
- हालाँकि इस वृद्धि ने धोखेबाज़ों के लिये एक अवसर भी प्रदान किया है, **अवैध ऋण बाज़ार संभावति रूप से 700-800 मलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।**
 - बैंकों, NBFC और फनिटेक कंपनियों के नेतृत्व में वर्ष 2023 में डजिटल ऋण 80 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। यह बैंकों, NBFC और फनिटेक कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने में योगदान देता है।

धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

वनिियामक मानदंडों का अभाव:

- हतिधारक, सरकार और नयियामक मानदंडों की अनुपस्थिति की कमी को उजागर करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपेक्षति प्रयास (Minimal due Diligence) की अनुमति देता है।
 - **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)**, इलेक्ट्रॉनिकिस और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), **भारतीय दूरसंचार नयियामक प्राधिकरण (TRAI)** एवं राज्य सरकारों जैसे विभिन्न नयियामकों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण का अभाव है।
- प्रवर्तन और जवाबदेही की कमी के चलते कई अवैध ऋण एप **नकली या वदिशी पहचान** का उपयोग कर बार-बार अपना नाम तथा व्यक्तितगत पहचान को परिवर्तित करते हैं ताकि **कई चैनलों एवं मध्यस्थों** के माध्यम से संचालन कर व अपनी पहचान छुपाकर कार्रवाई से बच सकें।

RBI के सीमति दशिा-नरिदेश:

- हालाँकि RBI ने सितंबर 2022 में **डिजिटल ऋण देने हेतु दशा-नरिदेश** जारी किये लेकिन ये दशा-नरिदेश केवल बैंकों और NBFC जैसी वनियमिति संस्थाओं पर लागू होते हैं। कारणवश धोखाधड़ी करने वाले एप्स पर काफी हद तक नयित्रण लगाना मुश्किल हो जाता है।

■ **सोशल मीडिया कंपनियों की गंभीरता की कमी:**

- बढ़ते खतरे के बावजूद नकली ऋण एप्स के वजिजापनों की सक्रिय रूप से नगिरानी नहीं करने के लिये सोशल मीडिया कंपनियों की आलोचना की जाती है।

कुछ व्यक्तियों का तर्क है कि **कॉर्पोरेट क्षेत्र का लालच** कमज़ोर नरीक्षण में भूमिका नभिता है।

■ **वनियामक अनश्चितता का वैध एप्स पर प्रभाव:**

- वनियामक कार्रवाई कभी-कभी वैध ऋण देने वाले एप्स को प्रभावित करती है, जिससे अनश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है।
 - **वर्ष 2021 में कुछ एप्स पर प्रतबिंध** ने वास्तविक ऋण देने वाली कंपनियों को प्रभावित किया, जो नयामक कार्यों में चुनौतियों को दर्शाता है।

■ **वैध NBFC की गलतबयानी:**

- वैध NBFC अवैध ऋण देने वाले एप्स द्वारा उनकी गलतबयानी के वषिय में चिता व्यक्त करते हैं।
 - कुछ धोखाधड़ी वाले एप्स पूरे क्षेत्र की प्रतषिठा को धूमलि कर सकते हैं।

■ **उपभोक्ता जागरूकता:**

- **उपभोक्ता जागरूकता और सुरक्षा** की कमी, कई उधारकर्त्ता ऋण एप्स की साख और शर्तों को सत्यापति नहीं करते तथा उनकी भ्रामक प्रथाओं का शकार हो जाते हैं।

आगे की राह

■ **नयामक ढाँचे को मज़बूत बनाना:**

- डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों, वषिय रूप से मोबाइल एप के माध्यम से कार्य करने वाले प्लेटफॉर्मों के लयिव्यापक कानूनी दशा-नरिदेश स्थापति करना।
 - अनयिमिति प्लेटफॉर्मों सहति डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं के व्यापक सपेक्ट्रम को कवर करने के लिये RBI दशा-नरिदेशों का दायरा बढ़ाना।
- धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स को वनियामक अंतराल का लाभ उठाने से रोकने के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लयिसख्त उचति प्रकरयिाएँ लागू करना।

■ **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नगिरानी बढ़ाना:**

- **ऋण एप्स से संबंधति वजिजापनों की सक्रिय नगिरानी** तथा **वनियमन** के लिये सोशल मीडिया कंपनियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
 - धोखाधड़ी वाले एप्स की पहचान कर उन्हें हटाने के लिये **कड़ी स्क्रीनिग प्रकरयिाओं** को लागू करने के लिये सोशल मीडिया कंपनियों को प्रोत्साहति करना चाहयि।
 - उन सोशल मीडिया कंपनियों पर दंड लगाना जो अपने प्लेटफॉर्म पर नकली ऋण एप्स के प्रसार को रोकने में वफिल रहती हैं।

■ **उपभोक्ता शकिषा तथा जागरूकता:**

- उपयोगकर्त्ताओं को धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स से संबंधति जोखमिों के बारे में शकिषति करने हेतु जागरूकता अभयान शुरु करना चाहयि।
 - उत्तरदायी ऋण प्रथाओं को अपनाने के लयि प्रोत्साहति करना चाहयि तथा व्यक्तयिों को ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों से जुड़ने से पहले उनकी वैधता को सत्यापति करने के लयि प्रोत्साहति करने की आवश्यकता है।

■ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**

- **सीमा पार धोखाधड़ी** वाले ऋण एप संचालन को **ट्रैक करने तथा दंडति करने** के लयि वैश्वकि संगठनों एवं नयामकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहयि।
 - नयामक उपायों को सशक्त करने एवं डिजिटल ऋण चुनौतयिों से नपिटने के लयि एकीकृत दृष्टकिेण सुनश्चिति करने हेतु संबद्ध वषिय की वैश्वकि वषिषज्जता का उपयोग करने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में गैर-बैंकगि वत्तितीय कंपनयिों (NBFC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2010)

1. वे सरकार द्वारा जारी प्रतभूतयिों के अधगिरहण में शामिल नहीं हो सकती।
2. वे बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2

- (c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और ना ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/menace-of-fraudulent-loan-apps-in-digital-lending-landscape>

